

8.4.17

मैं थाना प्रभारी, कुंदरी रोड

191-  
576  
22/4

के प्रतिवेदन से सन्तुष्ट हूँ कि दोनों पक्षों के बीच दाख  
पीकर शांती गंजेज को लेकर झगड़ा के कारण मेरे अधिकारिता क्षेत्र के अर्न्तगत शांति भंग होने की संभावना है।

990  
(8.4.17)

अतः दोनों पक्षों के विरुद्ध दफा 107 द0 प्र0 स0 की प्रक्रिया कायम की जाती है। दोनों पक्षों को आदेश दिया जाता है कि दिनांक 28.4.17 को मेरे न्यायालय में उपस्थित होकर कारण पृच्छा दाखिल करे कि क्यों नहीं उन्हें एक वर्ष तक शांति बनाये रखने हेतु एक-एक हजार रुपया का बन्दपत्र दाखिल करने का आदेश दिया जाय।

8441

अनुमण्डल पदाधिकारी  
सदर, मेदिनीनगर

28.4.17 नोटिस का तासिला प्राप्त। उभय पक्ष अनुम. दिनांक 19.5.17 को रखे।

19.5.17 उभय पक्ष अनुम. दोनों पक्षों के विरुद्ध कारें 2 निर्गत करे। दिनांक 5.6.17 को रखे।  
अनुमण्डल पदाधिकारी  
(14/5/17)  
(19.5.17)

5.6.17 उभय पक्ष यउ0 दिनांक 22.6.17 को रखे।  
अनुमण्डल पदाधिकारी

22.6.17 हितमय पक्ष के दोनो तासिलो को तासिली पावर के कारण प्रत्येक पक्ष की तासिली पावर के कारण राउ राउ करके आदेश। दोनो पक्षो की कोर को सुलहगाण का शांकेण सुलहगाण के शांकेण पर

पर विधान सचिवालय की सुना  
सुलहनामा घोषणा स्वीकार कर  
दुख बाद की अज्ञानता कारवाई  
समाप्त की जाती है।

31/3/2020